

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि : 21 जनवरी, 2014

निर्णय तिथि: 3 मार्च, 2014

रि.या.(सि.) 8417/2011

एस. के. माथुर

..... याचिकाकर्ता

के द्वारा:

सुश्री ज्योति सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

सह श्री वैभव कालरा, अधिवक्ता।

बनाम

राष्ट्रपति सचिवालय अपने प्रतिनिधि सचिव द्वारा और अन्य।

..... प्रत्यर्थागण

के द्वारा:

श्री एम. के. भारद्वाज, अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.वी. ईश्वर

न्या. आर.वी. ईश्वर

1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत की गई इन कार्यवाहियों में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.02.2010 को मू.अ. सं. 2788/2008 में पारित आदेश को चुनौती दी है।

2. याचिका इस प्रकार दायर की गई है। याचिकाकर्ता को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक निदेशक (बागवानी) के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें उसी क्षमता यानी सहायक निदेशक (बागवानी) में डीडीए में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। फिर उन्हें दिनांक 19.12.1970 को उद्यान अधीक्षक की क्षमता में राष्ट्रपति उद्यान, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति सचिवालय भेजा गया। दिनांक 08.04.1974 को उन्हें राष्ट्रपति उद्यान में अधीक्षक के रूप में राष्ट्रपति सचिवालय में स्थायी रूप से शामिल कर लिया गया, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में बागवानी के उप-निदेशक के समकक्ष है। चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इस पद को दिनांक 30.04.1996 से 3700-5000 रुपये के वेतनमान में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के निदेशक के पद और वेतनमान में अपग्रेड किया गया था। इस संबंध में राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा दिनांक 30.04.1996 को एक आदेश पारित किया गया था और यह सर्वविदित है कि आदेश में उल्लेख किया गया था कि पदोन्नत वेतनमान याचिकाकर्ता के लिए पूर्णतया व्यक्तिगत मामला है तथा जब भी वह पद छोड़ेगा, उक्त पद का वेतनमान उसके पहले के स्तर पर लाया जाएगा।

3. जब 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट आई, तो राष्ट्रपति सचिवालय ने दिनांक 22.10.1997 के कार्यालय आदेश के माध्यम से अधीक्षक के पद के लिए वेतनमान को दिनांक 01.01.1996 से 12000-16500 रुपये संशोधित किया। इस आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को 12000-16500 रुपये का वेतनमान दिया गया और यह भी विवाद में नहीं है।

4. याचिकाकर्ता दिनांक 01.04.1998 को सेवानिवृत्त हो गया और उसकी सेवानिवृत्ति देय राशि की गणना 12000-16500 रुपये के वेतनमान के आधार पर की गई। इस बीच, कुछ अभ्यावेदनों के अनुसरण में, 5वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा एक संशोधित सिफारिश की गई जिसके अनुसार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में बागवानी निदेशक और बागवानी के अतिरिक्त निदेशक के पद के लिए वेतनमान को वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 01.01.1996 से बढ़ाकर 14300-18300 रुपये कर दिया गया। तदनुसार दिनांक 06.10.1999 और दिनांक 28.08.2001 को कार्यालय आदेश पारित किए गए।

5. याचिकाकर्ता ने 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की संशोधित अनुशंसा और उपरोक्त कार्यालय आदेशों के आधार पर राष्ट्रपति सचिवालय को कई अभ्यावेदन दिए, जिसमें दिनांक 01.01.1996 से उनके वेतनमान को 14300-18300 रुपये करने और उसी आधार पर उनकी सेवानिवृत्ति देय राशि की गणना करने की मांग

की गई। इन अभ्यावेदनों को राष्ट्रपति सचिवालय ने कई आदेशों के माध्यम से खारिज कर दिया, जिनमें से अंतिम आदेश दिनांक 13.06.2008 को जारी किया गया था।

6. इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत कैट के समक्ष मू.अ. सं. 2788/2008 दायर की, जिसमें यह घोषित करने की प्रार्थना की गई कि प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश शून्य और अमान्य है और याचिकाकर्ता के संशोधित वेतनमान को दिनांक 01.01.1996 से 14300 18300 रुपये पर फिर से तय करने और संशोधित वेतनमान के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ सहित सभी परिणामी लाभों का भुगतान करने और दिनांक 01.01.1996 से भुगतान तक 10% प्रति वर्ष ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थीगण को उचित आदेश जारी करने के लिए प्रार्थना की गई।

7. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आक्षेपित आदेश के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया और उसे खारिज कर दिया। अधिकरण का तर्क इस प्रकार है। वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतनमान तय करना कार्यपालिका का विशेषाधिकार है और इसमें हस्तक्षेप करने की शक्ति यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि कोई शत्रुतापूर्ण भेदभाव न हो। राष्ट्रपति

सचिवालय में उद्यान अधीक्षक के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत निदेशक/अतिरिक्त निदेशक बागवानी या अधीक्षण अभियंता के कार्यों की प्रकृति के समान नहीं है। वेतन-समानता का तात्पर्य है कि काम समान है और केवल एक अस्पष्ट वेतन भेदभाव को एक कर्मचारी के खिलाफ भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है जो वर्तमान मामले में कर्तव्यों की प्रकृति में अंतर के कारण अनुपस्थित है। याचिकाकर्ता का तर्क कि दिनांक 01.01.1996 से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी निदेशक/अतिरिक्त निदेशक के वेतनमान को 14300-18300 रुपये के उच्चतर वेतनमान में अपग्रेड करने पर याचिकाकर्ता का वेतनमान भी स्वतः ही उसी वेतनमान में अपग्रेड हो जाता है, सही नहीं है क्योंकि केवल पहले के वेतनमान के वर्गीकरण से याचिकाकर्ता स्वतः ही उच्चतर वेतनमान का हकदार नहीं हो जाता और यह वेतन-समता का दावा करने का आधार नहीं हो सकता। दोनों पदों के बीच कोई पूर्ण और समग्र समानता नहीं है और केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता और बागवानी निदेशक/अतिरिक्त निदेशक समान कार्य कर रहे थे, यदि पूर्ण या समग्र समानता नहीं है तो उन्हें समान रूप से वेतन नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा, कार्यपालिका ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर दो बार विचार किया और उसे खारिज कर दिया और कार्यपालिका के विशेषाधिकार में हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राज्य के तीन अंगों के बीच शक्तियों के

पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत को परेशान करेगा। इस तर्क पर अधिकरण ने मू.अ. को खारिज कर दिया।

8. अपने निष्कर्ष के समर्थन में अधिकरण ने उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया।

9. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि राष्ट्रपति सचिवालय में उद्यान अधीक्षक का पद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में उप-निदेशक के पद के बराबर है और दोनों की स्थिति समान है तथा दोनों का काम भी समान है। यह बताया गया है कि केंद्रीय वेतन आयोग की संशोधित सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में बागवानी के अतिरिक्त निदेशक को मिलने वाला उन्नयन लाभ याचिकाकर्ता के मामले में रोक दिया गया, जबकि दोनों पदों के कार्यों की प्रकृति में समानता थी। यह भी बताया गया है कि तीसरे और चौथे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित उन्नयन भी याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया था और इसलिए, वेतनमान को 12000-16500 रुपये से बढ़ाकर 14300-18300 रुपये करने की 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की संशोधित सिफारिश को रोकने का कोई कारण नहीं था।

10. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने कहा कि वेतनमानों के उन्नयन के मामलों में न्यायिक संयम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसमें एस.सी. चंद्रा और अन्य

बनाम झारखंड राज्य और अन्य, (2007) 8 एससीसी 279 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को उचित ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल वर्गीकरण और पहले के वेतनमान का अनुदान वेतन समानता के लिए कोई मानदंड नहीं है और वेतनमान में केवल अंतर भेदभाव नहीं है। यह कहा गया है कि वेतन समानता की आवश्यकता यह है कि दोनों समूहों को न केवल समान परिस्थितियों में काम करना चाहिए, बल्कि बराबर और समान कर्तव्यों का निर्वहन भी करना चाहिए जैसा कि हरियाणा राज्य बनाम तिलक राज, (2003) 6 एससीसी 123 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। तदनुसार यह तर्क दिया गया है कि अधिकरण ने आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया।

11. हमने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को ध्यान में रखते हुए रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों और सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

12. तथ्य विवाद में नहीं हैं, सिवाय इस पहलू के कि क्या याचिकाकर्ता के कर्तव्यों की प्रकृति केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में काम कर रहे अधीक्षण इंजीनियर के समान है। हालांकि, याचिकाकर्ता को प्रार्थना के अनुसार राहत देने के बीच इसे आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता को राहत देने के लिए अन्य प्रमुख पहलू हैं। याचिकाकर्ता की सेवाओं की मांग 1970 में

राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा की गई थी। यदि वह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में ही बने रहते, जो उनका मूल विभाग है, तो वे वहां निदेशक (बागवानी) बन गए होते। दिनांक 21 अक्टूबर, 1991 को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के बागवानी निदेशक द्वारा अवर सचिव (प्रशासन), राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन को एक पत्र लिखा गया था। इस पत्र में याचिकाकर्ता के करियर की उन्नति के लिए कदमों का उल्लेख है। पत्र याचिकाकर्ता के पक्ष में निम्नलिखित तथ्य सामने लाता है: -

- (क) याचिकाकर्ता एक श्रेणी-1 अधिकारी है, इस रूप में प्रदान की गई उसकी सेवाओं को सामान्यतः महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति सचिवालय में उद्यान अधीक्षक का पद एक संवर्ग सेवा नहीं है;
- (ख) इंजीनियरिंग सेवाओं और कृषि वैज्ञानिकों के बीच तुलना उचित नहीं हो सकती है क्योंकि इन सेवाओं का अपना कैडर है; इसके अलावा, जो व्यक्ति 1959 के बाद डीडीए में अनुभाग अधिकारी (बागवानी) के रूप में शामिल हुए थे, वे पत्र की तारीख से कम से कम दो साल पहले बागवानी के निदेशक बन गए हैं - ऐसे व्यक्तियों के नाम पत्र में दिए गए हैं जो अनुलग्नक पी -2 (संयु.) है;

- (ग) डीडीए में याचिकाकर्ता के बाद चयनित सहायक निदेशक भी निदेशक (बागवानी) बन गए हैं और सामान्य तौर पर याचिकाकर्ता भी डीडीए में निदेशक (बागवानी) बन जाता, लेकिन भारत के राष्ट्रपति ने उसके नाम से उसकी सेवाएं नहीं मांगी; यदि याचिकाकर्ता उस समय डीडीए में शामिल हुआ होता तो वह पत्र की तारीख से कम से कम 5 से 6 साल पहले बागवानी का निदेशक बन गया होता;
- (घ) याचिकाकर्ता को 1974 में उप-निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था और आमतौर पर बागवानी निदेशक बनने के लिए 5 साल की सेवा की आवश्यकता होती है-याचिकाकर्ता ने 15 साल से अधिक समय (बागवानी निदेशक बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि से तीन गुना अधिक) तक उप-निदेशक के रूप में कार्य किया है।

इन पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए पत्र में याचिकाकर्ता को बागवानी निदेशक के रूप में पदोन्नत करने का मामला बनाया गया है। हालांकि अनुरोध को केवल इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सका कि राष्ट्रपति सचिवालय अपने स्वयं के नियमों-राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 द्वारा शासित है और निदेशक (बागवानी) का कोई पद नहीं है। पत्राचार से यह भी संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता का वेतनमान 3700-5000 रुपये तक बढ़ा दिया गया था जो

कि उद्यान अधीक्षक के पद का वेतनमान है। 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उद्यान के अधीक्षक का वेतनमान संशोधित कर 12000-16500 रुपये कर दिया गया। इस वेतनमान को दिनांक 28.8.2001 को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 1.1.1996 से संशोधित कर 14300-18300 रुपये कर दिया गया जहां याचिकाकर्ता पहले काम कर रहा था। याचिकाकर्ता राष्ट्रपति भवन में 27 वर्षों की सराहनीय सेवा के बाद दिनांक 1.4.1998 को सेवानिवृत्त हुए और उनके पेंशन लाभों की गणना 12000-16500 रुपये के वेतनमान के आधार पर की गई। प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई उचित कारण नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता को उपलब्ध पेंशन लाभों की गणना 14300-18300 रुपये के वेतनमान के आधार पर क्यों नहीं की जानी चाहिए, जो कि 12000-16500 रुपये के पिछले वेतनमान का संशोधन मात्र है, जिसके लिए याचिकाकर्ता निस्संदेह हकदार था और जिसके आधार पर उसके सेवानिवृत्ति लाभों की गणना की गई और उसे दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन को दिए गए अभ्यावेदन में, जिसकी एक प्रति रिकॉर्ड में उपलब्ध है (अनुलग्नक पी9-संयु.), याचिकाकर्ता ने पैरा 20 में एक चार्ट स्थापित किया है जिससे यह देखा गया है कि बागवानी के अतिरिक्त निदेशक जिन्हें 3700-5000 रुपये (पूर्व संशोधन) का वेतनमान दिया गया था, उन्हें 5वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा दिनांक 1.1.1996 से अनुशंसित 12000-16500 रुपये का संशोधित

वेतनमान दिया गया था और उन्हें दिनांक 23.9.1999 और दिनांक 2.7.2001 के संशोधन आदेशों के अनुसार दिनांक 1.1.1996 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 14300-18300 रुपये का संशोधित वेतनमान दिया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि ये अतिरिक्त निदेशक और निदेशक सेवा में उनसे जूनियर थे और अगर वे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में बने रहते तो दिनांक 1.1.1996 से 14300-18300 रुपये के उन्नत और संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होती। हमारी राय में, राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा उनकी सेवाओं की विशेष रूप से मांग किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता को इससे बदतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता। यह ध्यान रखना अप्रासंगिक नहीं है कि याचिकाकर्ता के काम की भारत के राष्ट्रपति ने सराहना की है। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रपति उद्यान में 27 साल की सेवा की थी। यहां तक कि बागवानी विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ उनका ग्रहणाधिकार भी दिनांक 8.4.1974 को समाप्त कर दिया गया था।

13. प्रत्यर्थीगण राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा याचिकाकर्ता को जारी दिनांक 16.4.2002 के पत्र पर भरोसा करते हैं, जिसमें कहा गया है कि दिनांक 30.4.1996 से उन्हें दिया गया 3,700 रुपये का पूर्व-संशोधित वेतनमान "व्यक्तिगत आधार पर था, न कि कार्यात्मक आधार पर" था। इसलिए इसमें कहा गया है कि 12,000-16,500 रुपये के इसी संशोधित वेतनमान में उनका वेतन

सही ढंग से तय किया गया है और अधीक्षण अभियंताओं को देय 14,300-18,300 रुपये का उन्नत वेतनमान राष्ट्रपति उद्यान के अधीक्षक के रूप में उन पर लागू नहीं होता है। जापन के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा धारण किए गए पद की तुलना केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता या बागवानी निदेशक के पद से नहीं की जा सकती। हम जापन के तर्क को समझने में असमर्थ हैं। याचिकाकर्ता का वेतनमान 3,700-5,000 रुपये तय करना, अगर यह व्यक्तिगत आधार पर है और कार्यात्मक आधार पर नहीं है, तो इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता को 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 12,000-16,500 रुपये का संशोधित वेतनमान भी दिया गया था। लेकिन जब इस वेतनमान को बढ़ाकर 14,300-18,300 रुपये कर दिया गया, तो प्रत्यर्थीगण ने उस आधार पर याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करने से इनकार कर दिया, जो समझ से परे है। प्रत्यर्थी संयु. पी.-2 पर निर्भर हैं जो दिनांक 17.1.2003 का एक संचार है जिसमें वित्त मंत्रालय से याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने का अनुरोध किया गया था। इस संचार से यह देखा गया है कि पहले वित्त मंत्रालय ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इस मुद्दे की जांच याचिकाकर्ता द्वारा धारित पद की तुलना केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में मौजूदा पद से करने के आधार पर की जानी चाहिए, जिसमें दोनों पदों के भर्ती नियमों के प्रावधानों और उनसे जुड़े कर्तव्यों और

जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय के उपर्युक्त दृष्टिकोण के जवाब में, राष्ट्रपति सचिवालय ने दिनांक 17.1.2003 के संचार में अधीक्षक, राष्ट्रपति उद्यान के पद से संबंधित भर्ती नियमों की प्रतियां संलग्न कीं और वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह जांच करे कि क्या याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। दिनांक 7.7.2003 को जारी एक संचार द्वारा वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रपति सचिवालय को सूचित किया कि प्रस्ताव पर विचार किया गया है और "हालांकि, प्रस्तावित पर सहमत होना व्यवहार्य नहीं पाया गया है"। बाद के अभ्यावेदनों का भी यही हश्र हुआ। जब याचिकाकर्ता को बागवानी के अतिरिक्त निदेशक के वेतनमान के बराबर वेतनमान दिया गया (यानी 12,000-16,500), तो हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि इस तथ्य की अंतर्निहित मान्यता थी कि याचिकाकर्ता और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में बागवानी के अतिरिक्त निदेशक दोनों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति समान थी। यदि ऐसा है, तो दिनांक 2.7.2001 को उस वेतनमान को 14,300-18,300 रुपये में संशोधित करना तार्किक रूप से उचित है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

14. उपर्युक्त परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता की रिट याचिका को सफल होना ही चाहिए। हम तदनुसार निर्णय लेते हैं और प्रत्यर्थीगण को निर्देश देते हैं कि वे याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना 14,300-18,300 रुपये के वेतनमान के आधार पर करें और साथ ही दिनांक 1.1.1996 से

31.03.1998 (यानी सेवानिवृत्ति की तिथि) तक उस आधार पर उसे वेतन का बकाया भी प्रदान करें। याचिकाकर्ता दिनांक 1.1.1996 से बकाया राशि की वसूली की तिथि तक ऐसे बकाया पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का भी हकदार होगा। रिट याचिका उपर्युक्त शर्तों के तहत स्वीकार की जाती है।

(आर.वी. ईश्वर)
न्यायाधीश

(एस. रवींद्र भट)
न्यायाधीश

मार्च 03,2014

एचएस/वीएलडी/बिष्ट

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।